रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032020-218629
CG-DL-E-12032020-218629

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 927] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2020/फाल्गुन 21, 1941
No. 927] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2020/PHALGUNA 21, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2020

का.आ. 1032(अ).—यतः, मै. नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ने तमिलनाडु राज्य के श्रीपेरम्बदुर, काँचीपुरम जिले में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, आईटी हार्डवेयर का निर्माण और असैम्बली (मोबाइल फोन, पार्ट, संघटक एवं फोन और नेटवर्क के लिए सहायक उपकरण सहित) एवं सॉफ्टवेयर, आर–डी गतिविधियाँ, प्रशिक्षण एवं दूरसंचार में अन्य सेवाओं का विकास क्षेत्र हेतु एक विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. क्रमशः का. आ. 1140(अ) दिनांक 17 अगस्त, 2005 एवं का.आ. 1715(अ) दिनांक 24 मई, 2017 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 85.375 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित तथा 3.98 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित किया था;

और यतः, मै. नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 13.0078 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 9773/एमआईई.2/2019.2 दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्ज, एसईजेड ने विशेष आर्थिक जोन के 13.0078 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप–धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा **13.0078 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है**, जिसके **परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 68.3872 हेक्टेयर** हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याए और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:–

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम.सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	पोंडुर सी	289/2	3.2012
2.		297	0.9400
3.		531	0.7649
4.		532	1.2764
5.		533/1	0.8168
6.		534	0.2286
7.		288	0.3281
8.		294	0.0241
9.		295	0.6900
10.		296	1.4400
11.		298	0.4924
12.		299/1	1.0030
13.		299/2	
14.		300/,	0.2899
15.		286	0.0278
16.		287	0.2962
17.		290/1	1.1884
18.		290/2	
कुल			**13.0078**
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			**68.3872**

[फा. सं. एफ. 2/15/2005–एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2020

S.O. 1032(E).—Whereas, M/s. Nokia India Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for manufacture and assembly of electronics, telecommunications, IT Hardware (including mobile phones, parts, components and accessories for phones and networks) and development of software, R&D activities, training and other services in telecommunication at Sriperumbudur, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified and de-notified 85.375 hectares and 3.98 hectares at the above Special Economic Zone *vide* Ministry of Commerce and Industry Gazette Notifications Number S.O. 1140(E) dated 17th August, 2005 and S.O. 1715(E) dated 24th May, 2017, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Nokia India Private Limited has now proposed for de-notification of 13.0078 hectare from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 9773/MIE.2/2019-2 dated 20th September, 2019;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ, SEZ has recommended the proposal for de-notification of an area of 13.0078 hectare of the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 13.0078 hectare**, thereby making the **resultant area as 68.3872 hectares**, comprising the Survey numbers and the areas given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	**Name of Village**	**Survey No.**	**Total area** (in Hectares)
1.	Pondur C	289/2	3.2012
2.		297	0.9400
3.		531	0.7649
4.		532	1.2764
5.		533/1	0.8168
6.		534	0.2286
7.		288	0.3281
8.		294	0.0241
9.		295	0.6900
10.		296	1.4400
11.		298	0.4924
12.		299/1	1.0030
13.		299/2	
14.		300/A	0.2899
15.		286	0.0278
16.		287	0.2962
17.		290/1	1.1884
18.		290/2	
Total			**13.0078**
Grand Total Area of SEZ after above deletion			**68.3872**

[F. No. F. 2/15/2005-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.12 21:56:13 +05'30'